न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2016/00247

1. भागोता आयु 47 वर्ष आत्मज सुन्दरा जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. शोराम आयु 52 वर्ष आत्मज सुन्दरा जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. यादराम आयु 30 वर्ष आत्मज शोराम जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. बच्ची बाई आयु 42 वर्ष पत्नी भागोता जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. केलाशी आयु 50 वर्ष पत्नी शोराम जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. घांसी आत्मज छोगा जाति मीणा निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल निवासी श्यामपुरा काला झोपडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा ।
2. चन्द्री बाई पत्नी रामदेवा जाति मीणा निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. मोहनलाल
4. भंवर लाल
5. शंकर पिसारान रामदेव जाति मीणा निवासीगण ग्राम गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. उप पंजीयक महोदय हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2019/00345

1. शोराम आयु 52 वर्ष आत्मज सुन्दरा जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. भागोता आयु 47 वर्ष आत्मज सुन्दरा जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

3. यादराम आयु 30 वर्ष आत्मज शोराम जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. बच्ची बाई आयु 42 वर्ष पत्नी भागोता जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. केलाशी आयु 50 वर्ष पत्नी शोराम जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

चन्द्री बाई आयु 72 वर्ष पत्नी रामदेव जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, श्री सुनील गौतम, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री कैलाश नामधराणी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय दिनांकः 16.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपील संख्या 2016/00247 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015 एवं अपील संख्या 2019/00345 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. अपील संख्या 2016/00247 में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का ग्राम गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली की आराजी खसरा नम्बर 387 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी कम 02 के नाम खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि पर वादी का सन् 1993 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादी ने उक्त भूमि जरिये इकरारनामा प्रतिवादी से कय की थी और कब्जा प्राप्त किया था तब से वादी उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । प्रतिवादी कम 01 ने उक्त भूमि को गैर कानूनी तौर से प्रतिवादी कम 02 को बेचान कर दिया है जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी कम 01 के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवायी जिसमें प्रतिवादीगण के विरूद्ध चार्जशीट पेश हई है । प्रतिवादी कम 02 उक्त भूमि अपने नाम दर्ज होने के आधार पर उक्त भूमि से वादीगण को

बेदखल करने के प्रयास में है । वादीगण उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करें तथा उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अपील संख्या 2019/00345 में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादिनी रेस्पोडेन्ट चन्द्री बाई ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत स्थायी निषेधाज्ञा का ग्राम गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली की आराजी खसरा नम्बर 387 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि वादिनी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है और क्रय के आधार पर कब्जा प्राप्त किया है । प्रतिवादीगण बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं जो वादिनी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं और उक्त भूमि से वादिनी को बेदखल करने की धमकी देते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

5. अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी पर वादिनी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें और उक्त भूमि से वादिनी को बेदखल नहीं करें तथा उक्त भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपील संख्या 2016/00247 में दावे को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015 के द्वारा खारिज कर दिया । अपील संख्या 2019/00345 में दावे को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2016 के द्वारा वादिनी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त दोनों अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015 एवं 01.06.2016 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों दावों को लोक अदालत में निर्णित किया है और निर्णय में विरोधाभासी तथ्य अंकित किये हैं । लोक अदालत में पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015 एवं दिनांक 01.06.2016 निरस्त फरमाये जावें ।

8. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपील संख्या 2016/00247 में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी दिनांक 19.12.1993 को 10/– रूपये के स्टाम्प पर बेचाननामा लिखवाकर क्रय की थी और इस पर अपीलान्ट काबिज काश्त चला आ रहा है । अपीलान्ट ने भूमि का समतल करवाकर कृषि योग्य बनाया है । अपीलान्ट इसमें परिवार के साथ मकान बनाकर रहते हैं और प्रतिवादी गॉव छोडकर भीलवाडा चले गये हैं । रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को बेचान की गई आराजी को गैर कानूनी रूप से रेस्पोडेन्ट क्रम 02 चन्द्री बाई को बेचान किया है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के खिलाफ फौजदारी मुदकमा भी दर्ज करवाया है जिसमें चार्जशीट पेश हुई है । अपीलान्ट वादीगण स्वयं को खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी हैं । अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत में विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया है । लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए थे और न ही कोई राजीनामा पेश हुआ था । मौका रिपोर्ट में तहसीलदार हिण्डोली के द्वारा अपीलान्ट का कब्जा होना और मकान बना होना बताया था जिस पर परीक्षण न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

10. अपील संख्या 2016/00247 में रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी के द्वारा 10/– रूपये के स्टाम्प के आधार पर बेचान का कथन किया गया है जबकि कृषि भूमि जिसकी कीमत 100/– रूपये से अधिक है उसका विक्रय पंजीकृत बयनामे के बिना नहीं किया जा सकता और अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर राजस्व न्यायालय में वादी का दावा चलने योग्य नहीं है । ऐसा दावा जो चलने योग्य नहीं है उसको परीक्षण न्यायालय ने विधिक रूप से खारिज किया है । परीक्षण न्यायालय में दिनांक 27.05.2015 को दोनों अपीलान्टगण उपस्थित हुए हैं और परीक्षण न्यायालय ने विधिक रूप से दावा मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण खारिज किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015 बहाल रखा जावे ।

11. अपील संख्या 2019/00345 में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के बाबत् रेस्पोडेन्ट चन्द्रीबाई ने धारा 188 राजस्थान काश्तकारी का दावा पेश किया था । दावा जवाब में लम्बित था और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादिनी उपस्थित नहीं हुई है। न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन तहसील से रिपोर्ट मंगवाकर 01 बीघा भूमि को छोडकर शेष भूमि के लिए वादिनी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है जबकि वादिनी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है । सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

12. अपील संख्या 2019/00345 में रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 12.06.2014 की आदेशिका के अनुसार दोनों पक्षकारों के वकीलों ने अवगत करवाया था कि राजीनामा हो चुका है । पत्रावली राजीनामा पेश करने के लिए लम्बित रही । इस कारण इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 उपस्थित हुए है। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त विधि सम्मत रूप से वादिनी के पक्ष में दावा आंशिक रूप से स्वीकार कर स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2016 बहाल रखा जावे ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पेश प्रकरण संख्या 118/दावा/2012 वादीगण भागोता एवं शोराम के द्वारा अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए पेश किया गया था जिसमें यह कथन किया गया था कि उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी 10/– रूपये के स्टाम्प पर तहरीर लिखवाकर क्रय की गई है और कब्जा प्राप्त किया गया है । इस कारण उन्हें इस आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे । अपने पक्ष के समर्थन में उनके द्वारा नकल जमाबन्दी संवत् 2065–68 पेश की है जिसमें वादग्रस्त आराजी घांसी वल्द छोगा के खाते में दर्ज है और नामान्तरकरण संख्या 531 का नोट अंकित है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी बेचान के आधार पर चन्द्रीबाई के खाते में दर्ज हुई है । परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 27.05.2015 को लोक अदालत में दावा वादी यह कथन करते हुए खारिज किया है कि विवादित भूमि के बेचान के बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है । इस कारण वादी को कोई अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है । लोक अदालत में दोनों वादीगण उपस्थित हुए है। वादीगण के द्वारा दावे की मद संख्या 02 में किये गये कथन के अनुसार 10/– रूपये के स्टाम्प पर बेचान की एक तहरीर लिखवाकर कब्जा प्राप्त किया है परन्तु इसमें प्रतिफल की राशि क्या थी यह भी अंकित नहीं किया गया है । बेचान की तहरीर के आधार पर जो कि पंजीकृत नहीं हो राजस्व न्यायालय में हक घोषणा का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । अपीलान्ट वादी के द्वारा बेचान की तहरीर भी परीक्षण न्यायालय में पेश नहीं की गई है । अपीलान्ट ने अपील में एक तहरीर की फोटो प्रति पेश की है जो 10/– रूपये के स्टाम्प पर लिखी गई है इसमें प्रतिफल की राशि 3300/– रूपये दर्ज की गई है । इस प्रकार वादीगण के द्वारा 10/– रूपये के स्टाम्प पर लिखी गई तहरीर के आधार पर कृषि भूमि को क्रय करना बताया गया है और इसके आधार पर हक घोषणा का दावा पेश किया गया है जो कि राजस्व न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है । वादीगण कब्जा मुखालफाना की बात भी करते हैं परन्तु कब्जा मुखालफाना के आधार पर कृषि भूमि पर राजस्व न्यायालय द्वारा उन्हें खातेदारी नहीं दी जा सकती । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने इस दावे को खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट संख्या 2016/00247 खारिज की जाती है ।

14. अपील संख्या 2019/00345 में पत्रावली का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया है जो जवाब में लम्बित था और इसको लोक अदालत में रखा गया है । पत्रावली पर संलग्न जमाबन्दी संवत् 2065–68 के अनुसार वादग्रस्त आराजी वादिनी के खाते में दर्ज हो चुकी है और परीक्षण न्यायालय ने बिना जवाबदावा प्राप्त किये इस पत्रावली को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादिनी उपस्थित नहीं हुई है ।

प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 एवं किसी मोहन की उपस्थिति दर्ज की गई है और उसी दिन तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादिनी आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है न तो समस्त पक्षकारान परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हुए हैं और न ही कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । इन तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय को निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट संख्या 2016/00247 खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 27.05.2015 बहाल रखा जाता है । अपील संख्या 2019/00345 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2016 निपरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 31.08.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 16.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2016/00247

1. भागोता आयु 47 वर्ष आत्मज सुन्दरा जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. शोराम आयु 52 वर्ष आत्मज सुन्दरा जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. यादराम आयु 30 वर्ष आत्मज शोराम जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. बच्ची बाई आयु 42 वर्ष पत्नी भागोता जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. केलाशी आयु 50 वर्ष पत्नी शोराम जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. घांसी आत्मज छोगा जाति मीणा निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल निवासी श्यामपुरा काला झोपडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा ।
2. चन्द्री बाई पत्नी रामदेवा जाति मीणा निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. मोहनलाल
4. भंवर लाल
5. शंकर पिसारान रामदेव जाति मीणा निवासीगण ग्राम गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. उप पंजीयक महोदय हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।

संख्याः 118/दावा/2012

1. भागोता आयु 47 वर्ष आत्मज सुन्दरा जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. शोराम आयु 52 वर्ष आत्मज सुन्दरा जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

––वादी

बनाम

1. घांसी आत्मज छोगा जाति मीणा निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल निवासी श्यामपुरा काला झोपडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा ।
2. चन्द्री बाई पत्नी रामदेवा जाति मीणा निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. मोहनलाल
4. भंवर लाल
5. प्रभूलाल
6. शंकर पिसारान रामदेव जाति मीणा निवासीगण ग्राम गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. उप पंजीयक महोदय हिण्डोली जिला बून्दी ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 16.07.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री शम्भूदयाल शर्मा, सुनील गौतम एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश नामधराणी के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि पर अपील अपीलान्ट संख्या 2016/00247 खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 27.05.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 16.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

16/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा